न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 01, फतेहपुर।

पीठासीन:–राम किशोर III, (एच०जे०एस०)

जे०ओ० कोड–UP6055

दाण्डिक निगरानी संख्या–75/2023

UPFT010036722023

संजय कुमार वर्मा उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व० श्री बृजपाल वर्मा
निवासी–औंग, थाना औंग, जिला फतेहपुर।

----निगरानीकर्ता

प्रति

1. राज्य उ० प्र० द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल फतेहपुर।
2. संतोष उर्फ कल्लू उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र लाल
   निवासी–ग्राम व थाना औंग, जिला फतेहपुर।
3. महेश उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र नामालूम
   निवासी–ग्राम लोहारी, थाना हुसेनगंज, जिला फतेहपुर।

----प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी पुनरीक्षणकर्ता संजय कुमार वर्मा की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या–1153/2023 संजय कुमार वर्मा बनाम संतोष कुमार उर्फ कल्लू आदि अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना–औंग, जिला फतेहपुर में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० एफ०टी०सी०, फतेहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित–19.07.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक संजय कुमार वर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा उक्त निगरानी वाद योजित किया गया।

2. निगरानीकर्ता/आवेदक का निगरानी में संक्षिप्त कथन है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.07.2023 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखीय साक्ष्य के विपरीत है तथा किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिवीजनकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) जा०फौ० निरस्त करने में दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया का अनुशरण नहीं किया गया और गलत तरीके से रिवीजनकर्ता/आवेदक का प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। रिवीजनकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) जा०फौ० में वर्णित घटना से स्पष्ट तौर पर विपक्षी संख्या 2 व 3 के द्वारा संज्ञेय

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.07.29 15:42:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध कारित किया जाना प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित होता है तथा घटना के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा पंजीकृत करायी गयी एफ०आई०आर० मु0अ0सं0–78/2023 थाना औंग जनपद फतेहपुर का कास वर्जन है और कास वर्जन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से क्रिमिनल अपील संख्या 411/2002 में उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश में निर्णय करते हुए दिनांक 10.09.2004 को व्यक्त की गयी अवधारणा में स्पष्ट रूप से कास वर्जन की एफ०आई०आर० पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है तथा उक्त मामला उपकार सिंह का रिपोर्टेबुल केश है तथा इस सम्बन्ध में ललिता कुमारी के मामले में भी आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है एवं सुनवाई के दौरान विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की अनदेखी करते हुए तथा इस सम्बन्ध में अपने आदेश में उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख न कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.07.2023 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। धारा–156 (3) जा० फौ० के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी के मामले में एवं अन्य विभिन्न निर्णयों में व्यक्त की गयी अवधारणाओं एवं सर्कुलेटेड दिशा निर्देशों पर विचार किये बिना एवं उनका अनुपालन किये बिना रिवीजनकर्ता का प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो हर हालत में विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया का उल्लंघन है और किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य एवं पोषणीय नहीं है। रिवीजनकर्ता/आवेदक का मामला मु0अ0सं0–78/2023 थाना औंग जिला फतेहपुर का कास वर्जन होने के कारण मामले की एफ०आई०आर० पंजीकृत कर विवेचना किया जाना न्यायसंगत है अन्यथा रिवीजनकर्ता/आवेदक न्याय पाने से एवं समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने से वंचित होगा। इस तथ्य पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचार न कर प्रश्नगत आदेश अवैधानिक तरीके से पारित करने में विधिक व प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.07.2023 हर तरह से विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण, अनुचित, गलत भ्रामक तथा शक व अनुमान पर आधारित है तथा विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत है तथा हर हालत में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः याचना किया है कि रिवीजनकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा क्रिमिनल रिवीजन स्वीकार किये जाने एवं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.07.2023 निरस्त किये जाने एवं रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) जा०फौ० में वर्णित घटना के सम्बन्ध में एफ०आई०आर० पंजीकृत कर विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विपक्षी संख्या–1 व 2 की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एवम् तथ्यों के अनुरूप है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता कारित नहीं की गयी है अतएव निगरानी निरस्त किया जाए।

4. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी/विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विपक्षी संख्या–2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–19.07.2023 का अवलोकन किया गया।

5. प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह देखा जाना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–19.07.2023 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सापेक्ष है या नहीं तथा आक्षेपित आदेश में कोई नियम प्रतिकूलता है या नहीं।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली** (2013) 5 SCC 762 एवं **अमित कपूर बनाम रमेशचन्दर,** (2012) 9 **एस०सी०सी०– 460** में इस आशय की विधि अभिनिर्धारित की है कि सामान्यतः पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार विधि के प्रश्न पर ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए, तथ्य के सम्बंध में इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है, जबकि विद्वान अवर न्यायालय के निष्कर्ष में अवैधानिकता हो। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग न्याय की मंशा की पूर्ति के लिए तथा इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि न्यायालय द्वारा शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा हो, मात्र संदेह का आधार लेकर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी पुनरीक्षणकर्ता संजय कुमार वर्मा की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या–1153/2023 संजय कुमार वर्मा बनाम संतोष कुमार उर्फ कल्लू आदि अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना–औंग, जिला फतेहपुर में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० एफ०टी०सी०, फतेहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित–19.07.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक संजय कुमार वर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा उक्त निगरानी वाद योजित किया गया। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रखा गया है कि रिवीजनकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) जा०फौ० में वर्णित घटना से स्पष्ट तौर पर विपक्षी संख्या 2 व 3 के द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होता है तथा घटना के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा पंजीकृत करायी गयी। एफ०आई०आर० मु0 अ 0 सं0–78/2023 थाना औंग जनपद फतेहपुर का कास वर्जन है और कास वर्जन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से क्रिमिनल अपील संख्या 411/2002 में उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश में निर्णय करते हुए दिनांक 10.09.2004 को व्यक्त की गयी अवधारणा में स्पष्ट रूप से क्रास वर्जन की एफ०आई०आर० पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है तथा उक्त मामला उपकार सिंह का रिपोर्टेबुल केश है तथा इस सम्बन्ध में ललिता कुमारी के मामले में भी आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में रिवीजनकर्ता की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Upkar Singh vs Ved Prakash & ors. Case no. Appeal (crl.) 411 of 2002 (Supreme Court of India)** दाखिल की गई है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि– If concerned police refused to register a counter complaint, it is open to the Magistrate at any stage to direct the police to register the complaint brought to his notice and an investigation the same. , उक्त विधि–व्यवस्था का अवलोकन किया गया, जो कि प्रस्तुत मामले में पूर्ण रूप से लागू होती है।

8. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता संजय कुमार वर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत् नहीं प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है

कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व अभिलेखीय साक्ष्य का ठीक से परिशीलन किये बगैर उक्त आदेश पारित कर दिया गया है जो कि विधिसंगत नहीं है। प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत होता है जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक है।

9. उपरोक्त समस्त विवेचन के प्रकाश में न्यायालय इस मत का है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.07.2023 में विधिक त्रुटि व अनियमितता कारित की गयी है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.07.2023 निरस्त किए जाने योग्य है एवं दाण्डिक निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत **आदेश दिनांकित 19.07.2023** निरस्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय में दिए गए निष्कर्षों के आलोक में नियमानुसार सुनवाई करके पुनः समुचित आदेश पारित करें।

11. निगरानीकर्ता दिनांक 05.08.2026 को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। अवर न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित को वापस प्रेषित की जाए। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 29.07.2026

(राम किशोर–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–01, फतेहपुर।
जे०ओ० कोड–UP6055

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 29.07.2026

(राम किशोर–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–01, फतेहपुर।
जे०ओ० कोड–UP6055